203

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय से अब तक चल–अचल सम्पत्ति विवरण (31.12.2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए)

01. अधिकारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो:– **महावीर सिंह मुजाल्दे**

02. प्रथम नियुक्ति दिनांक/वर्तमान धारित पद:– **सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक)** 03. जन्मतिथि:– **01.01.1976**

04. वर्तमान वेतन:– रूपये 1,26,800 अगली वेतन वृद्धि की तारीख:– 01.07.2020

क्र.	उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया.... खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जित की तारीख और जिसमें अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
		गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ग्राम सिनखेड़ा तह. व जिला खरगोन, म.प्र.	कच्चा आवासीय पैतृक मकान	कृषि भूमि 4 एकड़	20 लाख रू.	श्री सी.एस. मुजाल्दे (पिताजी)	विरासत (पैतृक संपत्ति)		
2.	ग्राम सुखलिया तह. व जिला इन्दौर म. नं. 1476– सी पं. दीनदयाल नगर इंदौर	दो मंजिला पक्का आरसीसी निर्मित 1200 वर्ग फीट		50 लाख रू.	श्री सी.एस. मुजाल्दे (पिताजी) वर्ष 1992 में बैंक लोन से प्लाट कय कर भवन निर्मित किया गया था।	बैंक लोन द्वारा कय कर निर्माण कराया गया।		
3.	ग्राम पंचायत नवाखेड़ा (मयंक नगर) तह. व जिला उज्जैन	भूखण्ड 2360 वर्ग फीट	2360 वर्ग फीट प्लाट	10 लाख रू.	स्वयं के नाम पर	पुलिस सहकारी साख संस्था उज्जैन से कय		
4.	स्कीम नं. 136, इंदौर विकास प्राधिकरण, तह. व जिला इंदौर	कुल 3500 वर्गफीट में भवन निर्माण	भूखण्ड 1000 वर्ग फीट	50 लाख रू.	स्वयं के नाम पर	स्वयं की बचत एवं बैंक ऋण लेकर निर्माण कराया।		
5.	ग्राम आदमपुरा–सिनखेड़ा, तह. एवं जिला खरगोन	सिंचित कृषि भूमि 2.90 एकड़	रा.नि. मण्डल, खरगोन, पटवारी हल्का नं. 40	6 लाख रू.	स्वयं के नाम पर	विरासत (पैतृक संपत्ति)		

01. जहां लागू न हो उसे काट दीजिए।

02. ऐसे मामले में जहां का सही सही निर्धारण संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

03. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टीप्पणी:– मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 माह की अवधि के पश्चात् यह घोषणा–पत्र भरकर प्रस्तुत करें और वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके किसी परिवार के सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर........ 21.1.2020

नामः– **महावीर सिंह मुजाल्दे**

पदः– **सहायक पुलिस महानिरीक्षक–(जे)अअवि**

विभागः– **अअवि, पु.मु. भोपाल**